सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

नाम पीठासीन अधिकारीः नानूराम सैनी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 12/2017

1. श्रीमति कानीदेवी पत्नी श्री शेराराम
2. श्रीराम
3. रामकंवरी
4. बाधू
5. शांति
6. धापू
7. किशनाराम
8. मैना
9. रावणराम

पिसरान शेराराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम कतरियासर, तहसील व जिला बीकानेर।

—:बनामः—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान

भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलार्थीगण।
2. पैरोकरराज, राज्य की ओर से।

—:निर्णयः—

दिनांक 29/05/18

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन तहसीलदार, बीकानेर की आज्ञा दिनांकः 11.06.1992 से व्यथित होकर इस न्यायालय में दिनांकः 30.10.2017 को प्रस्तुत की गयी है।

2— संक्षेप में प्रकरण से संबंधित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रोही कतरियासर तहसील बीकानेर में स्थित खेत खसरा नंबर 357, 358, 359, 362,

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

363, 364, 469 व 524 कुल 21.91 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार शेराराम पुत्र बख्ताराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम कतरियासर तहसील बीकानेर थे। शेराराम की मृत्यु के उपरान्त विरासतन के आधार पर इन्तकाल संख्या 46 उनके वारिसान अपीलार्थीगण के पक्ष में शिविर प्रभारी समस्या समाधान 1992 एवं तहसीलदार, बीकानेर ने दिनांक 11.06.1992 को स्वीकृत कर दिया। इस इन्तकाल में अपीलांट संख्या 3 का नाम रामकंवरी के स्थान पर रामकौरी संख्या 5 शांति का नाम सामंती व अपीलांट संख्या 9 रावणराम के स्थान पूराराम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। नामान्तरकरण की कार्यवाही इक तरफा तौर पर अपीलार्थीगण को बिना सुने पारित कर दिया गया जो गलत, विधि विरूद्ध एवं मिसल रिकार्ड के खिलाफ है। इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपील ज्ञापन के साथ दफा 5 कानून मियाद प्रार्थना–पत्र व उसके समर्थन में श्रीमति कानी देवी का शपथ–पत्र, जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 व 2063 से 2066 तक व संवत् 2071 से 2074 व सभी अपीलार्थीयों के आधार कार्ड की चित्र प्रतियां प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण मंजूर करने का निवेदन किया।

3– इस अपील प्रार्थना–पत्र के उत्तरदायी राजस्थान राज्य को सम्मन करने पर पेरोकारराज ना तो उपस्थित आये एव ना ही जवाब प्रस्तुत किया।

4– बहस अपीलार्थी अधिवक्ता अपील सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। दौराने बहस योग्य अभिभाषक अपीलार्थीगण का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी संख्या 3, 5 व 9 के वास्तविक नाम क्रमशः रामकंवरी, शांति व रावण के बजाय रामकौरी, सामंती व पूराराम दर्ज किये जाने मूल रूप से ही गलत कार्यवाही है। अधीनस्थ न्यायालय ने शिविर में बिना जांच किये उनके वास्तविक नामों के स्थान पर बोलते नाम दर्ज कर दिये गये इससे अपीलार्थीगण की खातेदारी अधिकारों पर क्लाउडस छा गये है। अतः आक्षेपाधीन इन्तकाल निरस्त कर उक्त अपीलार्थीयों के सही नामों को राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जावे।

5– अपीलार्थी अधिवक्ता की इस बहस के आधार पर अपील काबिले मंजूर हो जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6– परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इन्तकाल संख्या 46 दिनांक 11.06.1992 निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार बीकानेर को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय नये सिरे से पारित करें। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार, बीकानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

7– निर्णय आज दिनांकः 29/05/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner